<u>**अनुबंध - 2**</u>

निदेशक के साथ प्रतिज्ञा विलेख का प्रारूप

यह प्रतिज्ञा करार आज दिनांक --------------- दो हजार ----------- को ------------------------ ----- में पंजीकृत कार्यालय वाले -------------------------------------- बैंक (जिसे यहां इसके आगे "बैंक" कहा गया है) तथा ------------------------------------- के श्री/श्रीमती/सुश्री ------------ -------------------- (जिन्हें इसके आगे 'निदेशक' कहा गया है) के बीच किया जाता है ।

जबकि

क. निदेशक को बैंक के निदेशक बोर्ड (जिसे इसके आगे 'बोर्ड' कहा गया है) में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है । उसकी नियुक्ति की शर्त के अनुसार उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह बैंक के साथ प्रतिज्ञा विले,ख निष्पादित करें ।

ख. निदेशक ने नियुक्ति की उक्त शर्तों के अनुसार प्रतिज्ञा विलेख निष्पादित करना स्वीकार कर लिया है, जिसे बोर्ड ने अनुमोदित कर दिया है ।

अब एतद्द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की जाती है और इस प्रतिज्ञा विलेख में निम्नलिखित बातें शामिल की जाती हैं :

1. निदेशक यह स्वीकार करता है कि बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में उसकी नियुक्ति प्रयोज्य विधि और विनियमों के अधीन है जिसमें बैंक के बहिर्नियम तथा इस प्रतिज्ञा विलेख के उपबंध शामिल हैं ।

2. निदेशक बैंक के साथ प्रतिज्ञाबद्ध है कि :-

(i) यदि.निदेशक का बैंक और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किए गए अथवा किए जानेवाले किसी करार, संविदा अथवा व्यवस्था अथवा किसी प्रस्तावित संविदा अथवा व्यवस्था में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कोई हित निहित है तो वह उसके स्वरूप की जानकारी तत्काल अथवा बोर्ड की ऐसी बैठक में प्रस्तुत करेगा जिसमें उक्त संविदा अथवा व्यवस्था करने के बारे में निर्णय लिया जा रहा हो तथा यदि निदेशक उक्त बैठक में उपस्थित न हो अथवा ऐसी प्रस्तावित संविदा अथवा व्यवस्था जिसमें उसका हित निहित हो के दिन उपस्थित न हो, तो उसके तुरंत बाद होनेवाली बोर्ड की बैठक में वह संबंधित संविदा अथवा व्यवस्था में अपने हित की जानकारी बोर्ड को देगा । यह अपेक्षित घोषणा संविदा अथवा व्यवस्था में निदेशक का हित निहित होने के तुरंत बाद की बैठक में की जाएगी ।

(ii) निदेशक सामान्य नोटिस द्वारा बोर्ड को यह घोषित करेगा कि किन निगमित निकायों में वह निदेशक, सदस्य है, किन अन्य संस्थाओं में उसका हित निहित है तथा किस/किन फर्मों में भागीदार अथवा स्वामी के रूप में उसका हित है तथा वह इसमें हुए किसी भी परिवर्तन से बोर्ड को अवगत कराएगा ।

(iii) निदेशक कंपनी अधिनियम, 1956 में यथापरिभाषित अपने रिश्तेदारों की सूची बैंक को उपलब्ध कराएगा तथा यह भी सूचित करेगा कि उसकी जानकारी के अनुसार उन रिश्तेदारों की अन्य कंपनियों, फर्मों तथा संस्थाओं में निदेशक के रूप में अथवा अन्यथा क्या हित निहित है ।

(iv) बैंक के निदेशक के रूप में अपने कर्तव्य निर्वाह के दौरान निदेशक यह ध्यान रखेगा कि :-

(क) वह ऐसी उचित कुशलता से काम करेगा जो उसके ज्ञान और अनुभव वाले व्यक्ति से अपेक्षित है;

(ख) अपने कर्तव्य निर्वाह में वह ऐसी सावधानी बरतेगा जो उसकी ओर से उचित रूप से रखे जाने की अपेक्षा की जाती है तथा वह अपनी शक्तियों का प्रयोग सद्‌भावना पूर्वक तथा बैंक के हित को ध्यान में रख कर करेगा;

(ग) वह उस सीमा तक बैंक के कारोबार, गतिविधियों तथा वित्तीय स्थिति से स्वयं को सूचित रखेगा जो उसकी जानकारी में लाई जाती हैं;

(घ) वह बोर्ड की समितियों (जिसे उसके आगे संक्षिप्तता की दृष्टि से 'बोर्ड' कहा जाएगा) की बैठकों में नियमित रूप से उपस्थित रहेगा और बैंक के निदेशक के रूप में अपने दायित्वों को ईमानदारी से पूरा करेगा;

(ङ) वह बैंक के हित के सिवाय अन्य और किसी विचार से बोर्ड के निर्णय को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा;

(च) सांविधिक अनुपालन, निष्पादन समीक्षाओं, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों और क्रियाविधियों, प्रमुख कार्यपालक नियुक्तियों तथा आचार मानकों और अन्य प्रकार के ऐसे सभी मामलों पर निष्पक्ष निर्णय लेने में सहायता करेगा जो बैंक को प्रभावित करनेवाले हों और बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए गए हों;

(छ) बोर्ड के समक्ष लाए गए अथवा बोर्ड द्वारा उसे सौंपे गए मामलों में निर्णय करते समय वह किसी कारोबार अथवा अन्य ऐसे संबंधों को विचार में नहीं लेगा जो उसके स्वतंत्र निर्णय में बाधक बन सकते हैं;

(ज) बोर्ड की बैठकों में वह अपने विचार और अभिमत बिना किसी डर अथवा पक्षपात और प्रभाव के रखेगा तथा अपने स्वतंत्र निर्णय को उनसे प्रभावित नहीं होने देगा;

(v) निदेशक का -

(क) यह न्यासी कर्तव्य होगा कि वह कोई भी कार्रवाई सदाशयता से तथा बैंक के हित में करेगा तथा अन्य किसी प्रयोजन से कर्तव्य निर्वाह को प्रभावित नहीं होने देगा;

(ख) यह कर्तव्य होगा कि वह बैंक के बहिर्नियमों तथा प्रयोज्य विधि और विनियमों द्वारा निर्धारित शक्तियों के भीतर ही कार्य करेगा; तथा

(ग) यह कर्तव्य होगा कि वह बैंक के व्यवसाय के बारे में उचित समझ हासिल करे ।

(vi) निदेशक :

(क) बोर्ड द्वारा सौंपे गए मामलों के संबंध में उत्तरदायित्व से किनारा नहीं करेगा;

ख) पूर्णकालिक निदेशकों तथा बैंक के अन्य अधिकारियों के कर्तव्य पालन में हस्तक्षेप नहीं करेगा । तथापि, जब कभी निदेशक के पास अन्यथा रूप से विश्वास के कारण मौजूद हों तो वह अपनी चिंता से बोर्ड को तत्काल अवगत कराएगा ।

(ग) बोर्ड के सदस्य के रूप में उसे जो जानकारी प्राप्त हो उसका उपयोग अपने स्वयं के या किसी अन्य के लाभ के लिए नहीं करेगा तथा बैंक के निदेशक के रूप में बैंक द्वारा उसे जो जानकारी दी गई हो, उसका प्रयोग वह निदेशक के रूप में अपने कर्तव्य पालन के प्रयोजन के अलावा अन्य किसी प्रयोजन से नहीं करेगा ।

3. निदेशक के साथ बैंक यह प्रतिज्ञा करता है कि : (1) बैंक निदेशक को निम्नलिखित के बारे में अवगत कराएगा :

(क) निदेशक के विधिक और अन्य कर्तव्यों की पहचान सहित बोर्ड की क्रियाविधियों तथा सांविधिक दायित्वों सहित अपेक्षित अनुपालन;

(ख) नियंत्रण प्रणालियां और क्रियाविधियां;

(ग) बोर्ड की बैठकों में मत देने का अधिकार, इसमें ऐसे मामले भी शामिल हैं जिनमें निदेशक को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हित निहित होने के कारण भाग नहीं लेना चाहिए;

(घ) अर्हता अपेक्षाओं तथा बहिर्नियमों की प्रतियां उपलब्ध कराना;

(ङ) कंपनी की नीतियां और क्रियाविधियां;

(च) भेदिया लेनदेन (इनसाइडर डीलिंग्स) पर प्रतिबंध;

(छ) बोर्ड द्वारा गठित विभिन्न समितियों के गठन, प्राधिकार के प्रत्यायोजन तथा सौंपे गये विषय;

(ज) वरिष्ठ कार्यपालकों की नियुक्तियां और उनका प्राधिकार;

(झ) पारिश्रमिक नीति;

(ञ) बोर्ड की समितियों में विचार-विमर्श; तथा

(त) नीतियों, क्रियाविधियो, नियंत्रण प्रणालियों, बैंक के बहिर्नियमों सहित लागू विनियमों प्राधिकार के प्रत्यायोजन, वरिष्ठ कार्यपालकों आदि में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसकी जानकारी देना तथा अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति जो सभी सांविधिक तथा विधिक अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा ।

(ii) बैंक निदेशक सहित बोर्ड को ऐसी सभी जानकारी उद्घाटित करेगा और उपलब्ध कराएगा जो बैंक के निदेशक के रूप में अपने कार्य और कर्तव्य पालन के लिए उचित रूप से अपेक्षित है तथा बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत अथवा बोर्ड द्वारा किसी निदेशक अथवा किसी समिति को सौंपे गये मामलों के संबंध में निर्णय लेने में सहायक हो;

(iii) निदेशकों को बैंक द्वारा निम्नलिखित तथा अन्य बातों की जानकारी दी जाएगी :

(क) बोर्ड के सामने लाये गये सभी मामलों में समुचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक सभी जानकारी;

(ख) बैंक की नीतिगत तथा कारोबारी योजनाएं और अनुमान;

(ग) बैंक का संगठनात्मक ढांचा तथा प्राधिकार का प्रत्यायोजन;

(घ) क्रियाविधियों सहित कंपनी और प्रबंध नियंत्रण तथा प्रणालियां;

(ङ) आर्थिक स्थिति तथा विपणन पर्यावरण;

(च) बैंक के उत्पादों से संबंधित सूचना और अद्यतन जानकारी;

(छ) प्रमुख व्यय संबंधी सूचना और अद्यतन जानकारी;

(ज) बैंक के कार्यनिष्पादन की आवधिक समीक्षाएं; तथा

(झ) नीतिगत पहल तथा योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में आवधिक रिपोर्ट;

(iv) बैंक निदेशकों तथा संबंधित कार्मिकों को बोर्ड में हुए विचार-विमर्श के परिणाम की जानकारी देगा तथा बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त निदेशकों को समय पर और यथासंभव रूप से बोर्ड के बैठक की समाप्ति की तारीख से दो कारोबारी दिवसों के भीतर उपलब्ध कराएगा ।

(v) बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत मामलों में प्राधिकार प्रत्यायोजन के स्तर के बारे में निदेशक को सूचित किया जाएगा ।

4. बैंक निदेशक को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा उसकी प्रभावशीलता के बारे में आवधिक रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा ।

5. बैंक अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो एक वरिष्ठ कार्यपालक होगा तथा बोर्ड को रिपोर्ट करेगा । वह नीतियां और क्रियाविधियां स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होगा तथा भारतीय रिज़र्व बैंक अन्य संबंधित सांविधिक तथा सरकारी प्राधिकारियों और अन्यथा रूप से प्राप्त निदेशों सहित प्रयोज्य विधियों और विनियमों तथा नीतियों और क्रियाविधियों के अनुपालन पर निगरानी रखेगा ।

6. निदेशक बैंक के निदेशक के रूप में प्राप्त अपने अधिकारों और कार्यों तथा दायित्वों को किसी अन्य पक्ष को समनुदेशित, अंतरित नहीं करेगा तथा उन्हें किसी अन्य को नहीं सौंपेगा और उनका भार किसी अन्य पर नहीं डालेगा । लेकिन यहां दी गयी कोई भी बात बोर्ड अथवा उसकी कोई समिति तथा बैंक के बहिर्नियमों सहित प्रयोज्य विधियों और विनियमों द्वारा उसे दिये गये किसी प्राधिकार, शक्ति, कार्य को प्रत्यायोजित करने से प्रतिबंधित नहीं करेगा ।

7. प्रतिज्ञा विलेख के दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष द्वारा किसी दायित्व अथवा कर्तव्यों का निर्वाह करने अथवा अनुपालन करने में यदि असफल रहता है तो उसे इससे छूट नहीं माना जाएगा तथा किसी समय या उसके बाद उसके निष्पादन पालन निर्वाह अथवा अनुपालन के लिए प्रतिबंध के रूप में काम नहीं करेगा ।

8. इस प्रतिज्ञा विलेख में किया गया कोई अथवा सभी संशोधन और/अथवा अनपूरक और/अथवा बदलाव तभी वैध और प्रभावी होगा जब वह लिखित रूप में हो तथा निदेशक और बैंक के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हो ।

9. यह प्रतिज्ञा विलेख दो प्रतियों में निष्पादित किया गया है तथा दोनों ही प्रतियों को मूल प्रति माना जाएगा ।

यह करार निम्नलिखित पक्षों के बीच उपर्युक्त दिन, महीने और वर्ष को किया गया ।

बैंक की ओर से	निदेशक
----------------------------- द्वारा	--------------------------
नाम :	नाम :

पदनाम :

निम्नलिखित की उपस्थिति में :

1. -------------------------------------   2. ---------------------------